अनुक्रमांक – 23

मानक शर्ते व मानने का वचनपत्र

(वन विभाग, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या 7314 / 14-1980 / 82 दिनांक 31-12-84 द्वारा निर्धारित)

विषय: **सहारनपुर शहरी गॅस वितरण परियोजना (CGD Project):** भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) द्वारा 8"/6" व्यास की भूमिगत प्राकृतिक गैस पाईपलाईन, सडकों के समांतर जो की संरक्षित वन जाहेर किये हुए है, 6.3430 हेक्टेयर संरक्षित वन प्रभावित हो रही है, में पाइपलाईन डालने हेतु अनुमति का प्रस्ताव,

1. भूमि हस्तांतरण के बाद भी उस के वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति संरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जाएगा। अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाए की मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. अधोहस्ताक्षरी विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे और ऐसा किया जाने पर संबन्धित वनधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से संबन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में कराएगा तथा इस संबंध में बनाए गए मुनारे आदि का भी देख-रेख करेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओ से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तांतरण यथासंभव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणो से ही ऐसा किया जाना संभव होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा कि क्षतिपूर्ण एवं वन जन्तुओ के स्वच्छंद विचरण कि व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जाएगी।
9. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जाएगी। वन भूमि कि आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जाएगी।
10. वन भूमि का मूल्य संबन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य संबंधी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा। जो याचक विभाग को मान्य होगा।
11. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक वृक्ष के स्थान पर 10 वृक्षों का रोपण तथा 3 वर्षो तक परिपोषण व्यय या जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाए, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30^0 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बांज के पेड़ो का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षो के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
12. वन भूमि के नीचे से गैस पाईप लाईन ले जाने में यथासंभव पेड़ो का कटान नहीं किया जाएगा। यदि फिर भी पेड़ो का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है। तो न्यूनतम पेड़ोकी संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जाएगी जिस पर संबन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
13. यदि नहर आदि निर्माण में भू-रक्षण की संभवना होती है और नहर के दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो याचक इसे अपने व्यय से स्वयं करायेगा ।
14. उपरोक्त मानक शर्तो के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो याचक विभाग को मान्य होगी।

BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED

15. वन विभाग द्वारा वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाए जब शर्तो का पूरा पालन कर लिया जाए अथवा उसका उचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाए।

मै, विजय दुग्गल, भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की ओर से यह वचन देता हूँ की उपरोक्त उल्लेखित सभी शर्ते हमे मान्य है तथा उनका अनुपालन किया जाएगा।

दिनांक: 16/08/2017

(विजय दुग्गल)
मुख्य महाप्रबन्धक (गॅस)
भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED